

संलग्नक-3

मानक शर्त

(वन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-31980/82 दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर से कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोग हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग की प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गई न्यूनतम भूमि है। तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेगा और ऐसा किये जाने पर सम्बंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बंधित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बंध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर, वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति पूर्ण एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सांसायनिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

5

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Sr. Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
बरेली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office

10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10-02-1982 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूलीफर बदल कर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बंधित जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ0प्र0 वन निगम अथवा अन्य कोई अपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा समय न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व जो वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निशिद्ध है। इसी प्रकार बाज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन भी निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करें, उसे सुनियोजित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षक करके सम्बंधित उप वन संरक्षक की जायेगी। जिस पर सम्बंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भूमि क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।

17. ऊपर लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका सूचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझे उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

दिनांक : 18.10.2021

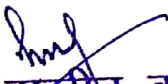
स्थान : रामपुर

(कुमार विभाष)

वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०
बरेली

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH

वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Sr. Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
बरेली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office


राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर